



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकएफ.2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पदस्था/एपीओ/2018/पार्ट-4/2510 जयपुर,दिनांक:- 10/8/18

-: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से (पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1	धनदान देथा	पाली (पाली)	विराटनगर (जयपुर)	रिक्त पद पर
2	महेश कुमार चौहान	गडरारोड (बाडमेर)	पाली (पाली)	श्री धनदान देथा के स्थान पर
3	रूपसिंह गुर्जर	मण्डरायल (करौली)	सुवाणा (भीलवाडा)	श्री भंवरलाल स्वामी के स्थान पर
4	भंवरलाल स्वामी	सुवाणा (भीलवाडा)	नागौर (नागौर)	श्री वैभव अरोडा के स्थान पर
5	वैभव अरोडा	नागौर (नागौर)	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय	-
6	नाहर सिंह मीणा	राजगढ (अलवर)	आनन्दपुरी (बांसवाडा)	रिक्त पद पर
7	बलदेव सिंह गुर्जर	बामनवास (सवाईमाधोपुर)	प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर	-
8	अजीत सिंह	नावां (नागौर)	पावटा (जयपुर)	नीरज शर्मा के स्थान पर
9	नीरज शर्मा	पावटा (जयपुर)	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय	-
10	संदेश पाराशर	भूपालसागर (चित्तौड़गढ)	प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा	-
11	रेखा रानी व्यास	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय	नीम का थाना (सीकर)	रिक्त पद पर
12	प्रीति सिंह	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय	प्रतिनियुक्ति पर राजीविका मुख्यालय, एस. पी.एम (एच.आर)	-
13	विश्वनाथ शर्मा	सीमलवाडा (डूंगरपुर)	धोंद (सीकर)	रिक्त पद पर
14	प्रियंका मीणा	बिजौलिया (भीलवाडा)	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय	-
15	उदयसिंह मीणा	कोटडी (भीलवाडा)	बामनवास (सवाई माधोपुर)	श्री बलदेव सिंह गुर्जर के स्थान पर
16	ऋषिराज मीणा	वैर (भरतपुर)	सलूम्बर (उदयपुर)	रिक्त पद पर
17	ज्योति प्रजापति	कोटकासिम (अलवर)	सांगानेर (जयपुर)	रिक्त पद पर
18.	साजिया तबरस्सुम	घडसाना (श्रीगंगानगर)	अनूपगढ (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर

उक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। जिस अधिकारी के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है परन्तु उनका पदस्थापन स्थान आदेश में अंकित नहीं है तो ऐसे अधिकारी प्रतिक्रियात्मक रूप से आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति विभागीय मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे।

क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री संदेश पाराशर का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्राचार्य पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा के पद पर किया जाने से प्राचार्य पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र कोटा के पद पर पदस्थापित श्री राजेन्द्र कुमार मित्तल अधिशाषी अभियन्ता आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति विभागीय मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे।

क्रम संख्या 12 पर अंकित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति 1 वर्ष के लिये है, जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। विभाग को आवश्यकता होने पर प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकेगी। विभाग में पुनः लौटने पर मूल पद के वेतनमान/भत्ते नियमानुसार देय होंगे। यह प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(47)वित्त/गुप-2/82 दिनांक 22.2.86 (समय समय पर यथासंशोधित) में वर्णित शर्तों के अधीन रहेगी।

उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दिनेश कुमार जांगिड)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. मिशन निदेशक, राजस्थान आजीविका विकास परियोजनायें, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण), मुख्यालय।
9. संभागीय आयुक्त, सम्बन्धित।
10. जिला कलेक्टर, सम्बन्धित।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. आदेश पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)